



फोटो

कम्प्यूटर द्वारा जारी लाभपत्र पहचान कोड नं० .....

**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा**  
**18 वर्ष से कम आयु के स्कूल न जाने वाले निःशक्त**  
**बच्चों को वित्तीय सहायता**

जिला ..... खण्ड/शहर ..... ग्राम/वार्ड ..... आवेदन तिथि .....

1. बच्चे का नाम .....
2. पिता/सरक्षक का नाम श्री/श्रीमती.....पुत्र श्री .....
3. सरक्षक का बच्चे के साथ रिश्ता .....
4. जन्म तिथि (जन्म प्रमाण-पत्र) .....आयु.....
5. पूर्ण स्थाई पता .....

डाक पिन कोड

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6. आधार कार्ड संख्या (आवश्यक है)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. आप के गांव/वार्ड में लाभपत्र पेंशन किस माध्यम से प्राप्त कर रहे है ? उस माध्यम के बैंक/डाकखाने/बी०सी०ए० के पास खाते का विवरण दें। बैंक/डाकखाने का नाम ..... शाखा ..... आई०एफ०एस०सी०कोड ..... खाता संख्या .....

8. कैटागिरी एस०सी०  बी०सी०  सामान्य

9. गरीबी रेखा सूचि संख्या / सामाजिक आर्थिक जातीय गणना संख्या .....

10. निःशक्तता का प्रतिशत .....  
( निःशक्तता प्रमाण पत्र संलग्न करें, जो कि 3 वर्ष से ज्यादा पुराना न हो)

11. क्या मंदबुद्धि बच्चों के केस में स्थानीय स्तरीय समिति द्वारा जारी सरक्षक प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है, या नहीं ? .....

12. क्या प्रार्थी हरियाणा राज्य का अधिवासी है ?  हां  नहीं

13. आवेदक की सभी साधनों से वार्षिक आय .....

14. मोबाईल फोन नं०

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

## शपथ

मैं, श्री/श्रीमती/कु०.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....  
निवासी.....  
सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दिया गया विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास अनुसार ठीक एवं सत्य है। यदि मेरे द्वारा गलत तथ्य बताकर वित्तीय सहायता प्राप्त की गई, तो सरकार को मेरी सभी प्रकार की पेंशन/वित्तीय सहायता राशि बन्द करने व 12 प्रतिशत ब्याज सहित प्राप्त की गई राशि को वसूल करने का अधिकार होगा। मेरी वित्तीय सहायता आईडी0 के साथ, मेरी आधार संख्या को जोड़ने व बैंकों/सरकारी विभागों के साथ सूचना सांझा करने पर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यदि मेरे द्वारा तीन मास में एक बार पेंशन/वित्तीय सहायता राशि बायोमैट्रिक पद्धति/डेबिट वाऊचर से नहीं निकलवाई जाती है या फिर जीवन प्रमाणपत्र नहीं दिया जाता है तो विभाग को मेरी पेंशन/वित्तीय सहायता राशि बन्द करने व मेरे खाते में जमा पेंशन/वित्तीय सहायता राशि को वापिस लेने का अधिकार होगा।

सत्यापन (सम्बन्धित सरपंच/नम्बरदार/वार्ड पार्षद/राजपत्रित अधिकारी द्वारा) आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान  
नाम ..... पद .....

### 18 वर्ष से कम आयु के स्कूल न जाने वाले निःशक्त बच्चों को वित्तीय सहायता

तिथि.....

हस्ताक्षर .....

खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी/

सचिव, नगर निगम/नागरिक सेवा केन्द्र(CSC)

नाम.....

पद.....

नोट :- पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में प्रार्थी को रसीद देवें एवं आवेदन-पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय को अग्रेषित करें अन्यथा आवेदन-पत्र कारण सहित प्रार्थी को वापिस लौटायें।

(केवल कार्यालय प्रयोग हेतु)  
जिला समाज कल्याण अधिकारी

स्वीकृत

अस्वीकृत

नोट:- यदि आवेदन फार्म अस्वीकृत किया है तो अस्वीकृति का कारण देवें.....

तिथि .....

हस्ताक्षर .....

1. यदि आवेदक निःशक्तता के कारण हाथ के अंगूठे/उंगली का निशान नहीं लगा सकता, तो उस अवस्था में पांव के अंगूठे का निशान लगाया जाये।
2. यदि दोनों हाथ-पांव न होने के कारण, आवेदक हस्ताक्षर करने या अंगूठे/उंगली का निशान लगाने में असमर्थ हो, तो उसका संरक्षक उसकी ओर से हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगा सकता है।